छत्तीसगढ़ विधान सभा

फरवरी-मार्च, 2013 सत्र

दैनिक कार्य सूची

मंगलवार, दिनांक 19 मार्च, 2013 (फाल्गुन 28, 1934)

समय 11:00 बजे दिन

1. प्रश्नोत्तर

पृथकत: वितरित सूची में सम्मिलित प्रश्न पूछे जायेंगे तथा उनके उत्तर दिये जायेंगे.

2. पत्रों का पटल पर रखा जाना

(1) डॉ. रमन सिंह, मुख्यमंत्री, विद्युत अधिनियम, 2003 (क्रमांक 36 सन् 2003) की धारा 182 की अपेक्षानुसार अधिसूचना क्रमांक 45/सी.एस.ई.आर.सी./2012, दिनांक 29 दिसम्बर, 2012 द्वारा अधिसूचित छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग (छत्तीसगढ़ राज्य भार प्रेषण केन्द्र एवं प्रभार तथा अन्य संबंधित विषयक) विनियम, 2012 **पटल पर रखेंगे.**

(2) डॉ. रमन सिंह, मुख्यमंत्री, विद्युत अधिनियम, 2003 (क्रमांक 36 सन् 2003) की धारा 182 की अपेक्षानुसार अधिसूचना क्रमांक 36/छ.ग.रा.वि.नि.आ./2011, दिनांक 23 जनवरी, 2013 द्वारा अधिसूचित छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग (नवीकरणीय क्रय दायित्व एवं नवीकरणीय ऊर्जा प्रमाणपत्र संरचना क्रियान्वयन) विनियम, 2011 **पटल पर रखेंगे.**

3. नियम 138 (1) के अधीन ध्यानआकर्षण

(1) श्री नंद कुमार पटेल, सदस्य, बिलासपुर जिले के तखतपुर में गोमांस की बिक्री किये जाने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(2) सर्वश्री भजनसिंह निरंकारी, मोहम्मद अकबर, सदस्य, जिला राजनांदगांव अन्तर्गत अंबागढ़ चौकी के संरक्षित जंगल में बिना अनुमति के पंचायत द्वारा सड़क निर्माण किये जाने की ओर वन मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

4. शासकीय विधि विषयक कार्य

(1) श्री रामविचार नेताम, तकनीकी शिक्षा मंत्री, अन्तर्राष्ट्रीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईआईटी) विश्वविद्यालय विधेयक, 2013 (क्रमांक 10 सन् 2013) के पुर:स्थापन का प्रस्ताव करेंगे तथा अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक पुर:स्थापित करेंगे.

(2) श्री अमर अग्रवाल, वाणिज्यिक कर मंत्री, छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित कर (संशोधन) विधेयक, 2013 (क्रमांक 11 सन् 2013) के पुर:स्थापन का प्रस्ताव करेंगे तथा अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक पुर:स्थापित करेंगे.

क्रमश: 2

(3) श्री रामविचार नेताम, उच्च शिक्षा मंत्री, छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक,2013 (क्रमांक 12 सन् 2013) के पुर:स्थापन का प्रस्ताव करेंगे तथा अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक पुर:स्थापित करेंगे.

(4) श्री ननकीराम कंवर, गृह मंत्री,दण्ड विधि (छत्तीसगढ़ संशोधन)विधेयक,2013(क्रमांक 13 सन् 2013) के पुर:स्थापन का प्रस्ताव करेंगे तथा अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक पुर:स्थापित करेंगे.

(5) श्री रामविचार नेताम, तकनीकी शिक्षा मंत्री, छत्तीसगढ़ युवाओं के कौशल विकास का अधिकार विधेयक,2013 (क्रमांक 14 सन् 2013) के पुर:स्थापन का प्रस्ताव करेंगे तथा अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक पुर:स्थापित करेंगे.

(6) श्री बृजमोहन अग्रवाल,संसदीय कार्य मंत्री, छत्तीसगढ़ विधान सभा सदस्य वेतन, भत्ता तथा पेंशन (संशोधन) विधेयक,2013 (क्रमांक 15 सन् 2013) के पुर:स्थापन का प्रस्ताव करेंगे तथा अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक पुर:स्थापित करेंगे.

5. शासकीय विधि विषयक कार्य

निर्धारित समय

(5:00 बजे तक)

डॉ. रमन सिंह, मुख्यमंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि - छत्तीसगढ़ विनियोग (क्रमांक-2) विधेयक, 2013 (क्रमांक 3 सन् 2013) पर विचार किया जाये.

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खंडश: विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाये.

रायपुर
दिनांक 18 मार्च,2013

देवेन्द्र वर्मा
प्रमुख सचिव.